न्यायालयः—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) समक्षः—दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए—300045 / 2016</u> संस्थित दिनांक—22.07.2016

रूपचंद मात्रे, उम्र–55 वर्ष, पिता तीजूलाल मात्रे, जाति मरार, निवासी–लफरा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट म.प्र.

....वादी

-// विरूद्ध//-

ग्राम पंचायत चौरिया तर्फे पक्षकार 1—तुलसीदास तेकाम, उम्र—35 वर्ष, पिता सूरजलाल तेकाम, जाति गोंड, सरपंच ग्राम पंचायत चौरिया, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट 2—परम उइके, उम्र—35 वर्ष, पिता बिदेसिंह उइके, जाति गोंड, सचिव ग्राम पंचायत चौरिया, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट 3—श्रीमान कलेक्टर महोदय, बालाघाट पदेन सचिव राज्य शासन

.....प्र<u>तिवादीगण</u>

-//<u>निर्णय</u>//-

(आज दिनांक-26.02.2018 को घोषित)

- 1— वादी ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वत्व उद्घोषणा एवं मकान तोड़कर रिक्त आधिपत्य एवं कब्जा पाने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2— वादी का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के नाम से भूमि ख.नं. 117/1ग रकबा 0.40/0.161 मौजा लफरा, प.ह.नं. 34, रा.नि.म. दमोह में स्थित हैं, जिसके उत्तर में फूलचंद की भूमि, दक्षिण में रूपचंद की भूमि, पूर्व में रूपचंद की भूमि, पिश्चम में कमलाबाई की भूमि स्थित है। वादी ने विवादित भूमि दिनांक—12.03.2014 को पौरीबाई से क्य की थी। ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा वादी की भूमि से लगकर स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तब वादी ने प्रति. क्.1 व 2 से स्कूल निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा था, तब प्रति.क्.1 एवं 2 ने कहा था कि वह सरकारी जमीन पर स्कूल का निर्माण करवा रहे हैं, तब वादी ने दिनांक—05.02.2016 को तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में विवादित भूमि का सीमांकन कराए जाने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, उसके पश्चात् दिनांक—09.02.2016 को राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी व गांव के कोटवार व

अन्य लोगों की उपस्थित में विवादित भूमि का नाप कर सीमांकन पंचनामा तैयार किया था। तब वादी को जानकारी हुई थी कि ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा विवादित भूमि पर वादी की बिना सहमित के अवैध रूप से स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, तब वादी ने दिनांक—11.02.2016 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा किये जा रहे स्कूल निर्माण की शिकायत की थी, परंतु प्रति.क.1 एवं 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। वादी द्वारा दिनांक—05.07.2016 को उसके अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस प्रेषित करवाया था। रा.प्र.क. 0731—12/15—16 में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा वादी की 40 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से स्कूल निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 10 डिसमिल भूमि पर पक्का निर्माण किया जा चुका है तथा 30 डिसमिल भूमि मैदान के लिए खाली रखी गई है। प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा अवैध रूप से वादी को उसकी भूमि पर प्रवेश करने से रोका जा रहा है। वादी की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराने से वादी को अपूर्णीय क्षति हुई है। वादी ने उसके वादपन्न की प्रार्थना के अनुसार उसके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में प्रति.क.1 एवं 2 ने वादी के वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादी के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए विशेष कथन में बताया है कि प्रति.क.1 ग्राम पंचायत चौरिया का सरपंच है एवं प्रति.क.2 सचिव है। दिनांक-19.11.15 को कार्यालय कलेक्टर जिला मिशन संचालक द्वारा पत्र क. 2994 के आधार पर चौरिया ग्राम पंचायत के ग्राम लफरा में भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उस आधार पर ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा तहसीलदार को दिनांक-22.12.2015 को ग्राम लफरा में माध्यमिक शाला भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने के लिए आवेदन दिया था। आवेदन प्रस्तुत होने के बाद प.ह.नं. 34 का पटवारी दिनांक-07.01.2016 को ग्राम लफरा आये थे। ग्रामीणों की उपस्थिति में ख.नं. 116/1 रकबा 0.905 हे. भूमि का नाप कर सीमा बताई थी एवं शासकीय भूमि कहां पर है, यह बताया था। इस आधार पर सरपंच, सचिव द्वारा स्कूल निर्माण का कार्य पटवारी के बताए आधार पर प्रारंभ किया गया है। वादी द्वारा जो चतुरसीमा प्रस्तुत की गई है, वह भ्रामक है। ख.नं. 117/1ग रकबा 0.40 डि. भूमि में से 0.10 डि. भूमि पर स्कूल का निर्माण बताया गया है, वह गलत है। ख.नं. 117/1ग की भूमि, ख.नं. 116/1 से पृथक है। किसी भी प्रकार से वादी की भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ख.नं. 117/1ग भूमि शामिल सरीक भूमि है। उक्त भूमि का बटांक नहीं हुआ है। उक्त भूमि रूपचंद की बताई गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट में ख.नं. 11/1, 85/2, 108/2, 117/1ग, 124/9, 124/2 का विभाजित नक्शा नहीं है। इस आधार पर सीमांकन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जब तक बटांकन नहीं हो जाता, तब तक उक्त भूमि वादी की है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर खसरे का बटांक नहीं किया गया है, कब्जे व सर्वे के आधार पर बटांकन करने की सलाह दी गई है। प्रति.क.1 एवं 2 ने वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

4— प्रकरण में तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

कमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादग्रस्त भूमि मौजा लफरा प.ह.नं. 34, रा.नि.मं. दमोह, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट स्थिति खसरा नंबर 117/1ग, रकबा 0.40/0.161 हेक्टेयर भूमि वादी के स्वत्व की भूमि है ?	
2	क्या प्रतिवादीगण द्वारा विधि विरूद्ध रूप से वादी के स्वत्व की भूमि पर पक्का निर्माण कार्य किया गया है ?	''प्रमाणित नहीं''
3	क्या वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये गए निर्माण कार्य को तोड़कर वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है ?	''प्रमाणित नहीं''
4	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर उचित न्यायशुल्क चस्पा किया गया है ?	″प्रमाणित''
5	सहायता एवं खर्च ?	वादी का वादपत्र निर्णय की कंडिका—14 के अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

वादप्रश्न कमांक-01, 02, 03 का निराकरण:-

5— वाद्रप्रश्न कमांक—1 लगा. 3 एकदूसरे से संबंधित है। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण तीनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

रूपचंद मात्रे वा.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि भूमि ख.नं-117/1ग रकबा 0.40/0.161 हे. प.ह.नं-34 मौजा लफरा, रा.नि.म. दमोह, जिला बालाघाट की भूमि उसके स्वामित्व की है। उक्त भूमि के उत्तर में फूलचंद की भूमि, दक्षिण एवं पूर्व में रूपचंद की भूमि, पश्चिम में कमलाबाई की भूमि है। साक्षी ने उक्त भूमि दिनांक-12.03.14 को रजिस्टर्ड विक्यपत्र द्वारा पौरीबाई से क्रय की थी। ग्राम पंचायत चौरिया के द्वारा साक्षी की भूमि से लगकर स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साक्षी को यह आशंका होने पर कि स्कूल का निर्माण उसकी भूमि पर किया जा रहा है, तब साक्षी ने प्रति.क.1 एवं 2 से विवादित भूमि पर स्कूल निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा था, तब उन्होंने कहा था कि स्कूल का निर्माण सरकारी भूमि पर करा रहे हैं। साक्षी ने दिनांक—05.02.16 को तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में विवादित भूमि का सीमांकन कराए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके बाद दिनांक-09.02.16 को राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी, ग्राम कोटवार एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में विवादित भूमि का नाप किया था एवं उक्त दिनांक को विवादित भूमि का सीमांकन पंचनामा तैयार होने पर साक्षी को इस बात की जानकारी हुई थी कि ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा विवादित भूमि में साक्षी की बिना सहमति के स्कूल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साक्षी ने दिनांक-11.02.16 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में भूमि पर स्कूल निर्माण की शिकायत की थी, परंतु प्रति.क.1 व 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी की भूमि से लगी हुई भूमि शासकीय मद की भूमि नहीं है।

7— रूपचंद वा.सा.1 का यह भी कहना है कि उसने प्रतिवादीगण को दिनांक—05.07.16 को नोटिस प्रेषित करवाया था। दिनांक—01.07.16 को तहसीलदार बिरसा के न्यायालय के चिलत रा.प्र.क. 0734—12/15—16 में यह उल्लेख है कि साक्षी की ग्राम पंचायत चौरिया की 40 डि. भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से स्कूल निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं 10 डि. भूमि पर पक्का निर्माण हो चुका है। शेष 30 डि. भूमि स्कूल के मैदान के लिए खाली रखी गई है। प्रति.क.1 एवं 2 द्वारा वादी की भूमि पर अवैधानिक रूप से स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा किये गए अवैध स्कूल निर्माण कार्य को तोड़कर साक्षी को उसकी भूमि का रिक्त आधिपत्य सौंपा जाए। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी—1 लगा. 9 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

- 8— राजकुमार मात्रे वा.सा.2 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में वादी के अभिवचनों के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि साक्षी विवादित भूमि पर 25 वर्षों से अधिया बटाई के रूप में कृषि कार्य कर रहा है। पूर्व में विवादित भूमि पौरीबाई की थी, तब भी साक्षी उक्त भूमि पर अधिया—बटाई में कृषि कार्य करता था। विवादित भूमि वादी ने पौरीबाई से क्य कर ली है। साक्षी ने उसकी साक्ष्य से वादी की साक्ष्य की पुष्टि की है। प्रतिवादीगण ने वादी की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।
- 9— प्रति.क.1 एवं 2 ने उनकी लिखित तर्क में बताया है कि वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—13 में यह बताया है कि ख.नं—117 में केता मनीराम, चंदन बैसाखू, का रकबा शामिल है। उक्त रकबे का मूल नक्शे में विभाजन नहीं हुआ है। सीमांकन प्रतिवेदन में पटवारी के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया था, उक्त निरीक्षण में सीमावर्ती कृषक उपस्थित हुए थे। नक्शे से मिलान किया गया था, जिसमें पाया गया था कि वादी की भूमि का खसरे के अनुसार बटांक नहीं किया गया है। दिनांक—07.01.16 को शासकीय भूमि ख.नं—117/1ग की नाप कर सीमांकित कर शासकीय भूमि पर स्कूल निर्माण किया गया है। वादी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—15 में स्वीकार किया है कि नापजोख कर स्कूल का निर्माण कार्य कर स्कूल बनाया गया है।
- 10— वादी ने उसकी लिखित तर्क में बताया है कि वादी की विवादग्रस्त भूमि से लगी भूमि पर ग्राम पंचायत चौरिया द्वारा बिना प्रस्ताव पारित किये, भूमि का बिना नाप किये, वादी की भूमि पर स्कूल का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण की संपूर्ण लिखित तर्कों पर विचार किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी—1 के विक्यपत्र में यह उल्लेख है कि वादी ने प्रदर्श पी—1 के विक्यपत्र द्वारा विवादग्रस्त भूमि पौरीबाई से दिनांक—12.03.2014 को क्य की थी। प्रदर्श पी—2 कि खसरा पांचसाला में भी विवादग्रस्त भूमि पर वादी का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रदर्श पी—1 एवं 2 के दस्तावेजों से यह प्रमाणित माना जाता है कि वादी विवादग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
- 11— प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए तहसीलदार बिरसा के रा.प्र.क. 073—12/15—16 के साथ संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—5 के प्रतिवेदन एवं पंचनामा में उल्लेख है कि भूमि ख.नं. 11/1, 85/2, 108/2, 117/1ग, 124/9, 124/2 रकबा क्रमशः 1.302, 0.101, 0.161, 0.405, 0.121 भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया था। उक्त स्थल निरीक्षण के समय आवेदक एवं अनावेदक सीमावर्ती कृषक उपस्थित रहे थे। प्रकरण के साथ संलग्न

तहसीलदार बिरसा के राजस्व प्रकरण के सीमांकन पंचनामा, सीमांकन प्रतिवेदन एवं राजस्व प्रकरण की आदेशपत्रिका में यह लिखा है कि स्थल का नक्शे से मिलान किये जाने पर पाया था कि आवेदक / वादी की भूमि खसरे के अनुसार नक्शे में बटांग नहीं किया गया है। सीमांकन में प्रस्तुत खसरे के अनुसार आवेदक / वादी काबिज है। आवेदक / वादी के बार-बार कहने पर मौका नापकर बताया गया था। सीमांकन कार्य नहीं किया गया था। आवेदक / वादी को समझाईश दी गई थी कि पूर्व में नक्शा बटांग की कार्यवाही करें। नक्शा बटांक होने पर सीमांकन की कार्यवाही की जा सकती है। ख.नं. 117 / 1ग रकबा 0.161 हे. के खसरे में वादी का नाम उसके स्वामित्व के संबंध में दर्ज है। ख.नं. 117 का विभाजित नक्शा नहीं होने से सीमांकन नहीं किया गया था। आवेदक / वादी ने मौका के कब्जा के लिए कहा था, किन्तु मूल नक्शे में बटांक नहीं होने से ख.नं. 117 का संपूर्ण क्षेत्र मापकर बताया गया था, जिसके अनुसार उक्त स्थल में निर्मित किये जा रहे स्कूल का वादी के ख.नं. 117 के अंदर निर्माण किया जा रहा था। उक्त स्थिति को देखते हुए वादी/आवेदक से कहा गया था कि वह अपने कब्जे एवं सर्वे नंबर के अनुसार बटांकन की कार्यवाही करावें। उसके पश्चात् सीमांकन की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रति.क.1 एवं 2 ने उनके जवाबदावा के अभिवचन के विशेष कथन के पैरा-15 में बताया है कि प.ह.नं-34 के पटवारी ने ग्राम लफरा में दिनांक-07.01.16 को वादी एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति में ख. नं. 116/1 रकबा 0.905 हे. भूमि को नापकर उसकी सीमा बताई थी कि शासकीय भूमि कहां पर है। स्कूल के लिए भूमि चिन्हित की थी। उसके आधार पर प्रति.क.1 एवं 2 ने स्कूल निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। प्रति.क.1 एवं 2 ने जवाबदावा के अभिवचन के विशेष कथन के पैरा-20 में बताया है कि उन्होंने शासकीय भूमि ख.नं. 116/1 रकबा 0.905 हे. भूमि में स्कूल निर्माण का कार्य किया है।

12— प्रकरण में संलग्न तहसीलदार बिरसा के रा.प्र.क. 0734—12 / 15—16 की प्रमाणित प्रतिलिपियों में ख.नं. 117 के नक्शे में बटांग नंबर विभाजित और अंकित नहीं है, इसलिए उसका नाप नहीं हो सकता है। इसलिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादीगण ने जहां स्कूल का निर्माण किया है, वह वादी की ही जमीन है, यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण ने वादी के स्वामित्व की भूमि पर स्कूल का निर्माण किया है, इसलिए वादी, प्रतिवादीगण से स्कूल का निर्माण तोड़कर भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त

करने का अधिकारी नहीं है। वादप्रश्न क.1 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' एवं वादप्रश्न क. 2 एवं 3 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप दिया जाता है।

वादप्रश्न क. 4 का निराकरण

13— यह वादप्रश्न वाद मूल्यांकन एवं न्यायशुल्क से संबंधित है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है। वादी ने स्वत्व की घोषणा के लिए वादपत्र का मूल्यांकन 5,000/—रूपये कर उस पर 1,000/—रूपये न्यायशुल्क एवं स्कूल भवन को तोड़कर कब्जा प्राप्त करने के लिए 5,000/—रूपये मूल्यांकन कर उस पर 600/—रूपये न्यायशुल्क कब्जा प्राप्ति के लिए 100/—रूपये की न्यायशुल्क अदा की है। वादी को उसके वादपत्र का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा चाही गई सहायता के स्वरूप को देखते हुए वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा—8 एवं कोर्ट फीस अधिनियम की धारा—7(4) के प्रावधानों के पालन में वादी ने वाद का मूल्यांकन उचित रूप से किया है एवं पर्याप्त कोर्ट फीस अदा की है। तद्ानुसार यह वादप्रश्न निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-5 सहायता एवं खर्च

14— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादी खसरा नंबर 117/17, रकबा 0. 40/0.161 हेक्टेयर मौजा लफरा प.ह.नं. 34, रा.नि.मं. दमोह, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट की भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में सफल रहा है, परंतु वादी प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा स्कूल का निर्माण कराया गया है एवं वादी विवादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य तुड़वाकर भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:—

1— यह घोषित किया जाता है कि वादी भूमि खसरा नंबर 117/17, रकबा 0. 40/0.161 हेक्टेयर मौजा लफरा प.ह.नं. 34, रा.नि.मं. दमोह, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट की भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।

- 2— वादी की वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण कार्य करना प्रमाणित नहीं होने से व प्रतिवादीगण द्वारा किये गए निर्माण कार्य को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य पाने की सीमा तक वादी का वादपत्र निरस्त किया जाता है।
- 3— उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 4- अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट मेरे बोलने पर टंकित।

सही / – (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट

